पत्रांक–2ब० / जला०–01–06 / 2019 2759 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

के०डी० प्रौज्ज्वल,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक– 4/6/19

विषयः– **राज्य के शहरी निकाय क्षेत्रों में अवस्थित पोखर/तलाब/वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि राज्य के शहरी निकाय क्षेत्रों में अवस्थित पोखर एवं तलाब के उड़ाही का कार्य विशेष अभियान के अर्न्तगत चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए शहरी निकायों के अर्न्तगत अवस्थित तलाब/पोखर के संबंध मे विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, ताकि योजना पर होने वाले व्यय का सही आकलन किया जा सके। तदालोक में निम्न ब्योरा में वांछित सूचना उपलब्ध कराया जा सकता हैः–

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	वार्ड सं० (अवस्थित क्षेत्र)	पोखर का (क्षेत्रफल/लम्बाई/चौड़ाई/गहराई)	पोखर का प्रकार (कच्चा/पक्का) मछली पालन	पोखर का प्रकृति (सरकारी/गैर सरकारी/निजि)	पूर्व में कब जीर्णोद्धार आदि का कार्य कराया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

वर्णित योजना के अधीन प्रस्तावित पोखर/तालाब के उड़ाही हेतु कितनी फीट गहराई की आवश्यकता है, उसका भी आकलन कराकर अभ्युक्ति कॉलम में अंकित किया जाय। यदि कोई ड्रेन या नाला का पानी उस पोखर में गिर रहा हो तो वैसे प्रदूषित जल के शोधन एवं वैकल्पिक डाईभरसन एवं निकासी के प्रस्ताव पर भी मंतव्य उपलब्ध कराया जाय।

उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक जल के संरक्षण में वृक्षारोपण कार्य का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आवश्यक है कि शहरी निकाय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य को मिशन मोड में पूरा कराया जाय। इसके लिए भूमि का परिमापन एवं चिह्नित किया जाना आवश्यक है। अतएव अपने नगर निकाय क्षेत्रों में वैसे बेकार एवं अनुपयोगी भूमि को चिह्नित करते हुए वांछित क्षेत्रफल की जानकारी भी उपलब्ध कराया जाय, जहाँ वृक्षोरोपण की संभावना हो। साथ ही उक्त तालाबों के किनारे भी वृक्षारोपण कराये जा सकते हैं।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में पोखर/तालाब उड़ाही कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य हेतु सभी वांछित सूचना पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

4/6/19

सरकार के उप सचिव।